लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583659फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpividhya@yahoo.com

क्रमांक–विद्या/ए./18/2011/68,   भोपाल, दिनांक 10/2/12
प्रति,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय–वाहन से स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के संबंध में।
सन्दर्भ–संचालनालय का पत्र क्रमांक/विद्या/पी./06/15/300 भोपाल दिनांक 16.03.2006

—00—

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 13029/85 निर्णय दिनांक 20.11.97 तथा दिनांक 16.12.97 में दिये गये निर्देशो के अनुक्रम मे उपयुक्त विषयक संदर्भित आदेश द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये थे:–

1. बस के आगे और पीछे बड़े एवं सुवाच्य अक्षरों में "स्कूल बस" लिखा जाये।
2. यदि बस किराये की है तो उस पर आगे एवं पीछे "विद्यालयीन सेवा (On School Duty) लिखा जाये।
3. विद्यालय के लिये उपयोग में लायी जाने वाली किसी भी बस में निर्धारित सीटों से "अधिक संख्या में बच्चे नहीं बैठाए" जाएं।
4. प्रत्येक बस में अनिवार्य रूप से "फर्स्ट एड– बॉक्स" की व्यवस्था हो।
5. बस की खिड़कियों में "आड़ी पट्टियां (Horizontal Grills)" अनिवार्य रूप से फिट करवाई जाएं।
6. प्रत्येक बस में "अग्नि शमन यंत्र" की व्यवस्था हो।
7. बस पर "स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर" लगी हो।
8. बस के "दरवाजे पर सुरक्षित सिटकनी" लगी हो।
9. वाहन चालक को "भारी वाहन चलाने का न्यूनतम" पांच वर्ष का अनुभव" होना चाहिये तथा पूर्व में ट्रेफिक "नियमो के उल्लघन का दोषी नहीं" ठहराया गया होना चाहिये।
10. मोटर वाहन नियम 17 के अनुसार प्रत्येक बस में बस चालक के अतिरिक्त "एक अन्य योग्य व्यक्ति" की व्यवस्था की जाये।
11. "बच्चों के बस्ते रखने के लिये सीटों के नीचे जगह की व्यवस्था" की जानी चाहिये।
12. सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों को लाते ले जाते समय "बस में एक व्यक्ति (Escort) यथा सभव स्कूल के एक शिक्षक की व्यवस्था" की जाये।

2– यह भी सुनिश्चित किया जाये कि शैक्षणिक संस्थाओं को छात्र/छात्राओं के लिये आने– जाने के लिये चल रही बसों पर मान. उच्चतम न्यायालय की गाईड लाईन्स एवं मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं होने से हो रही दुर्घटना को देखते हुये स्कूल बस/स्कूल के लिये चल रही प्रायवेट बसों को चिन्हित कर उन सभी बसों पर मान. उच्चतम न्यायालय की गाईड लाईन्स एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जावें।

3– उपरोक्तानुसार कार्यवाही के संबंध में अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर)
संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठा क्रमाक–विद्या/ए/18/2009/69,   भोपाल, दिनांक 10/2/12
प्रतिलिपि –

1. निज सचिव मान. मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग की टीप क्रमांक/30/म./स्कूल शिक्षा/2012, दिनांक 5.1.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक/85/97/2011/20–3 दिनांक 24.1.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. समस्त सभागीय सयुक्त संचालक/ जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर)
संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

योगेन्द्र 02.09.09